महाराजा संसार चन्द स्मारक राजकीय महाविद्यालय थुरल, तहसील थुरल, जिला काँगड़ा हि0प्र0 के

छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018

भाग-एक

1 **(i) प्रस्तावना :-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रधानाचार्य द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :-

क्रम सं	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	डॉ भुवन प्रकाश शर्मा	27-05-2011 से 30-04-2014
2.	डॉ वीभा ठाकुर (officiating)	01-05-2014 से 11-09-2014
3.	डॉ सतिन्द्र सिंह रंधावा (officiating)	12-09-2014 से 18-12-2014
4.	डॉ राकेश शर्मा	19-12-2014 से 19-09-2017
5.	डॉ वीभा ठाकुर (officiating)	20-09-2017 से 12-07-2018

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹) लाखों में
1.	5	रेड क्रॉस निधि व एस०सी०ए० निधि का अनाधिकृत एकत्रीकरण	0.22
2.	7	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि का यूनिवर्सिटी निधि खाते में जमा करने बारे l	0.16
3.	9	विभिन्न निधियों से अनियमित व्यय l	0.44

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाम दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

राजकीय महाविद्यालय थुरल, जिला काँगड़ा के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेद में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-10-2018 से 29-10-2018 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया।आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 06/12, 06/13,06/14,06/15,06/16 व 06/17 तथा व्यय कि विस्तृत जाच के लिए माह 03/13 , 07/13,03/15,09/15,10/16 व 05/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इंकार करता है। अंकेक्षण की जिम्मेदारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

राजकीय महाविद्यालय थुरल के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2018 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹30000 बनता है।

वर्ष	**वर्ष में प्राप्त आय**	**अंकेक्षण शुल्क**
2012-13	106339	5000
2013-14	125576	5000
2014-15	126024	5000
2015-16	199242	5000
2016-17	149894	5000
2017-18	121680	5000
	कुल जोड़	**₹30000**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 291 दिनांक 25-10-18 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 636510 दिनांक 29-10-18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेज दिया है।

4 **वितीय स्थिति:-**

राजकीय महाविद्यालय थुरल द्वारा प्रस्तुत अवधि 04/1 2 से 03/18 के निधि लेखों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का अन्त शेष सहित विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर वर्णित है। वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में यूनिवर्सिटी निधि को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह निधि छात्र निधि से सम्बन्धित नहीं है।

5 **रेड क्रॉस व एस०सी०ए० निधि के रूप में₹0.22 लाख का अनाधिकृत एकत्रीकरण:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित विवरणानुसार रेड क्रॉस व एस०सी०ए० निधियों की वसूली की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक के पत्र सं :ई०डी०एन०-एच (21)ए(3)20/2010-वी.दिनांक 03-06-2010 में वर्णित निधियों में उक्त निधियां शामिल नहीं है जोकि गंभीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना सं: 293 दिनांक 26-10-18 द्वारा प्रधानाचार्या को उक्त बारे अवगत करवाया गया। प्रधानाचार्या द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि एस०सी०ए० निधि को वर्ष 2015-16 से वसूला नहीं जा रहा है व इस निधि के अन्तर्गत वसूली की राशि को मिश्रित निधि में ही जमा किया जाता रहा है। रेड क्रॉस निधि के खाता सं 50061472346 में दिनांक 29-10-18 को शेष पड़ी ₹24138 की राशि को भी निकाल कर मिश्रित निधि के खाता सं 20059049278 में जमा कर दिया गया जिसकी पुष्टि ऑडिट द्वारा भी कर ली गई है। प्रधानाचार्या ने ऑडिट को यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में अनाधिकृत निधियों की वसूली नहीं की जाएगी व सरकार द्वारा अधिसूचित निधियो को ही छात्रों से वसूला जायेगा।

(क) रेड क्रॉस निधि

वर्ष	वसूली गई राशि
2015-16	6600
2016-17	5880
2017-18	5000
जोड़	**₹17480**

(ख) एस०सी०ए० (स्टूडेंट सेन्ट्रल एसोसिएशन) निधि

वर्ष	वसूली गई राशि
2012-13	1417
2013-14	1495
2014-15	1807
जोड़	**4719**
कुल जोड़ (क+ख)	**₹22199**

6 रसीद बुकों का नियमानुसार अभिलेख न रखना तथा रसीदों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से छात्र निधियों के एकत्रीकरण के लिए जो रसीद बुकें प्रयोग की गई थी उनका भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इनको जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसके आभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें छपवाई गई कितनी रसीद बुकें जारी की गई थी और कितनी रसीद बुकें शेष है। अत: परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों का उचित प्रकार से अभिलेख रखने हेतु रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर में लेने के पश्चात ही सम्बन्धित कर्मचारी को जारी करना सुनिश्चित किया जाए। महाविद्यालय के अधिकारीयों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के अनुसार अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों में जिन रसीद बुकों द्वारा छात्र निधियों की राशि एकत्रित की गई थी उनका विवरण इस प्रकार से है :-

वर्ष	रसीद सं
2012-13	1725 से 1800 व 2501 से 2540
2013-14	2754 से 2800 व 2801 से 2857
2014-15	3031 से 3208
2015-16	3553 से 3801
2016-17	4279 से 4413
2017-18	791314 से 791414

7 कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में प्राप्त ₹0.16 लाख को यूनिवर्सिटी निधि में जमा करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली छात्रों से की गई थी परन्तु इस निधि को उक्त निधि में जमा करने के स्थान पर यूनिवर्सिटी निधि में जमा किया जाता रहा जो की आपत्तिजनक था। अंकेक्षण द्वारा उक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना सं 292 दिनांक 26-10-18 द्वारा प्रधानाचार्या के ध्यान में लाया गया व प्रधानाचार्या द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए ₹15750 की राशि यूनिवर्सिटी निधि से निकालकर दिनांक 26-10-18 को मिश्रित निधि में जमा कर दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

वर्ष	वसूली राशि
2012-13	450
2013-14	1800
2014-15	2520
2015-16	2880
2016-17	5580
2017-18	2520
जोड़	**15750**

8 निधियों को विलम्ब से जमा करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार वसूली निधियों को विलम्ब से जमा किया गया जबकि नियमानुसार सरकारी राशियों को उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर बैंक में जमा करना अपेक्षित है :-

(i) दिनांक 11-06-14 से 19-06-14 तक रसीद सं 3031 से 3084 द्वारा एकत्रित ₹7024 को दिनांक 21-06-14 को बैंक में जमा किया गया।

(ii) दिनांक 11-06-15 से 16-06-15 तक रसीद सं 3553 से 3564 द्वारा एकत्रित ₹2901 को दिनांक 18-06-15 को बैंक में जमा किया गया ।

विलम्ब से निधियों को बैंक में जमा करने के कारण एक तो सरकारी राशि के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है व संस्था को ब्याज के रूप में की हानि हुई है । अत: निधियों को विलम्ब से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए ।

9 **विभिन्न निधियों से ₹0.44 लाख का अनियमित व्यय :-**

हि०प्र० यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस अमेनडेड सितम्बर 2002- chapter XLII के अनुसार निम्नलिखित व्यय निधियों पर वैद्य प्रभार नहीं है । अत: इन व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित निधियों में जमा किया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाये ।

वा0सं0	माह	विभाग/फर्म का नाम का नाम	राशि	विवरण	निधि का नाम
1	03/15	मै० क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पालमपुर	8820	ममैन्टो	खेल निधि
शून्य	12/14	मै० माइक्रोकॉम कम्प्यूटर पठान कोट	35500	1 कम्प्यूटर 1 प्रिंटर	मिश्रित निधि
		कुल जोड़	**₹44320**		

10 **कुटेशन के आधार पर खरीद न करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद कुटेशन के आधार पर करना अपेक्षित है परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित खरीद कुटेशन के आधार पर नहीं कि गई है जिससे इस खरीद पर बाजारी प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया जा सका । अत: उक्त के अभाव में अंकेक्षण द्वारा भुगतान कि गई दरों कि पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: बिना कुटेशन के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसे सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

निधि का नाम	वा0स०	माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
मिश्रित निधि	शून्य	03/15	मै० शर्मा इंटरप्राइजेज पालमपुर	72 किताबें	8514
पुस्तकालय जमानत निधि	1	11/16	मै० लक्ष्मी ट्रेडर्स पालमपुर	पर्दे व रोड	8510

11 पत्रिका को अधिक दर पर छपवाने के कारण₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पत्रिका को अधिक दर से छपवाने के कारण ₹2000 का अधिक भुगतान किया गया। अत: प्राप्त राशि से अधिक राशी पर पत्रिकाओं की छपवाई पर व्यय करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा अधिक भुगतान की गई ₹2000 की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस पत्रिका निधि के खाते में जमा करवाई जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

सत्र	भुगतान माह	फर्म का नाम	पत्रिका की संख्या	छपवाई दर	प्राप्ति दर	किया गया भुगतान	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
2015-16	09/15	मै० लेहर प्रिंटिंग प्रेस चुवाड़ी	200	60	50	10000	12000	**2000**

12 प्रिंटिंग निधि से अनुचित भुगतान करने बारे :-

वाउचर सं 1 माह 03/13 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० अनिल टेंट एंड लाइट हाउस थुरल से वार्षिक पारितोषिक वितरण हेतु टेंट किराए के लिए ₹15440 भुगतान प्रिंटिंग निधि से किया गया। उक्त टेंट के किराये से सम्बन्धित निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि फर्म द्वारा टेंट की आपूर्ति F.O.R करनी थी परन्तु बिल सं 25 दिनांक 26-02-18 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को ₹400 का भुगतान जीप किराये के रूप में किया गया था जोकि अनुचित था। अत: सम्बन्धित से ₹400 की वसूली कर उक्त निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

13 21 ममैन्टो को स्टॉक में न दर्शाने बारे :-

वाउचर सं 2 माह 03/13 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० क्रिएशन ब्रदर हमीरपुर से 96 ममैन्टो की खरीद उनके बिल सं 1990 दिनांक 25-02-13 ₹8689 द्वारा की गई। वितरण सूचि की जाँच करने पर पाया गया कि केवल 75 ममैन्टो का वितरण किया गया था जबकि शेष 21 ममैन्टो को स्टॉक में शेष दर्शाया जाना अपेक्षित था जो की नहीं दर्शाए गए थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 21 ममैन्टो के मूल्य की वसूली सम्बन्धित से किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 **अग्रिम को विलम्ब से समायोजित करने बारे :-**

वाउचर सं 1 माह 09/15 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹20000 की अग्रिम की राशि श्री शमशेर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) को दिनांक 23-09-15 से 25-09-15 तक नेरवा में कबड्डी प्रतियोगिता हेतु भुगतान की गई थी परन्तु उक्त अग्रिम राशि का समायोजन सम्बन्धित द्वारा दिनांक 30-03-16 को किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 189(3) के अनुसार अग्रिम का समायोजन अग्रिम के जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर करवाया जाना अपेक्षित है जबकि इस मामले में अग्रिम का समायोजन लगभग 6 महीने बाद करवाया गया जो की उचित नहीं था। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर अग्रिम का समायोजन करवाया जाना सुनश्चित किया जाए।

15 **अखवार रददी की नीलामी न करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पुस्तकालय निधि से पांच प्रकार की अखवारों की खरीद दैनिक रूप से की गई है परन्तु अखवार रददी की नीलामी दिनांक 30-11-15 के बाद नहीं की गई है जोकि गम्भीर मामला है। अत: अखवार रददी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व रददी की नीलामी शीघ्र करके इससे प्राप्त आय को मिश्रित निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

16 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-**

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं करवाई गई जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत स्टॉक में पडे सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अत: नियमो की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर भविष्य में वार्षिक सत्यापन करना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

17 **लघु- आपत्ति विवरणिका:-**यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0) एच (2) C (15) xi (ii) 495/2012 खण्ड–1–407–409 दिनांक 19.1.19 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

2 अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थुरल, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

(पैरा 1(iii) के सन्दर्भ में) परिशिष्ट “क”

	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 09-11-05 से 31-03-12			
क्रम सं0	पैरा सं0	पैरे की स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1.	5	अनिर्णीत	छात्र निधियों के लेखों का उचित रख-रखाव न करने बारे।	
2.	6	निर्णित	रोकड़ बहियों को पास बुक की प्रविष्टियों के आधार पर लिखने बारे।	कार्यवाही देख ली गई है।
3.	7	निर्णित	बिल/वाउचरों का उचित रख-रखाव न करने बारे।	--यथोपरि --
4.	8	निर्णित	अधिग्रहण से पूर्व छात्र निधि लेखों के रख-रखाव बारे।	--यथोपरि---
5.	9	अनिर्णीत	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल (वाणिज्य तथा गणित) निधि के रूप में कम वसूली बारे।	
6.	10	निर्णित	पुराने समाचार पत्रों की बिक्री से प्राप्त आय बारे।	नीलामी कर दी गई है
7.	11	निर्णित	विविध खाते को ऋण प्रदान करने बारे।	वसूली देख ली गई है
8.	12	अनिर्णीत	अग्रिम भुगतान का समायोजन न करने बारे	
9.	13	अनिर्णीत	छात्र निधियों से कार्यालय व्यय करने बारे।	
10.	14	अनिर्णीत	यूनिवर्सिटी शुल्क खाते से 108713/-राशि निकलवाने बारे।	
11.	15	अनिर्णीत	अभिलेख न प्रस्तुत करने बारे।	
12.	16	निर्णित	पत्रिका का न छपवाया जाना।	कार्यवाही देख ली गई है।
13.	17(क)	अनिर्णीत	निधियों के स्टॉक में पड़े सामान का उचित रख रखाव न करने बारे।	
14	17(ख)	अनिर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना।	

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरों की संख्या**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अनिर्णीत पैरे	14
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)14
कुल पैरे	**28**
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	06
अन्त शेष (दिनांक 31-3-18 तक)	**22**